

श्री निरंजन कुमार, संयुक्त सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-01.07.2026 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे संपन्न प्रशाखा-05 की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री सिद्धांत कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
2. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
4. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक (क्रीड़ा), खेल निदेशालय।
5. श्री अनुप कुमार सिन्हा, वरीय सचिवालय सहायक, खेल विभाग।

I. सर्वोच्च प्राथमिकता

(1) एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का आवंटन/व्यय विवरणी

(क) वर्तमान में 64 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों में से 37 एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है, शेष 27 एकलव्य केन्द्रों का संचालन करने हेतु श्री हिमांशु कुमार, उप निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को निदेश दिया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 के विरुद्ध एकलव्य प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु आवंटन की मांग की जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री अनुप कुमार, वरीय सचिवालय सहायक)

(ख) "खेल एवं जिम उपकरण" का आवंटन/व्यय विवरणी

खेल एवं जिम उपकरण मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि का जिलों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र मांगा जाय। वित्तीय वर्ष 2026-27 में खेल एवं जिम उपकरण मद में प्रावधानित राशि के आलोक में सभी जिला खेल पदाधिकारी/ अधीक्षक/उपाधीक्षक, शा0शि0 से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्र भेजे जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री अनुप कुमार, वरीय सचिवालय सहायक)

⑧
9.7.26

(2) राज्य स्तरीय अवसंरचना निर्माण/जीर्णोद्धार

(क) बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर पटना का जीर्णोद्धार

बी0पी0 सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पटना के 8 एकड़ के परिसर को प्रीमियम खेल सुविधा के रूप में अपग्रेड किया जाना है। इस हेतु पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(3) बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर

बिहार राज्य खेल अकादमी, राजगीर के लंबित पत्रों की समीक्षा हेतु बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(4) बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर

बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर के लंबित पत्रों की समीक्षा हेतु बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— श्री संजीव कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी)

(5) खेलो इंडिया योजना अन्तर्गत खेल अवसंरचना के निर्माण के संबंध में

खेलो इंडिया योजना अंतर्गत खेल अवसंरचना निर्माण के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव स्वीकृति हेतु स्मार पत्र भेजा जाय।

(अनुपालन— श्री प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी)

(6) बिहार खेल-कूद (खेल-कूद संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम 2013 की संचिका विधिक्षा हेतु विधि विभाग को भेजा जाना है।

(अनुपालन— श्री प्रतिभा कुमारी, प्रशाखा पदाधिकारी)

II. सामान्य प्राथमिकताएँ

(1) कार्यालय में उपस्थिति (Biometric Attendance)

सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अनिवार्य रूप से (Biometric Attendance) उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे। बायोमैट्रिक उपस्थिति से



संबंधित प्रतिवेदन प्रशाखावार तैयार कर प्रत्येक बुधवार को प्रस्तुत करेंगे। बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले और समय से पहले कार्यालय छोड़कर जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर संचिका में उपस्थापित की जाय। पदाधिकारी एवं कर्मों द्वारा समय पर कार्यालय आने-जाने में सुधार नहीं होने की स्थिति में उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी। पदाधिकारी एवं कर्मचारी के कार्यालय अवधि में बाहर जाने, खोजने पर नहीं मिलने का अनुश्रवण कर संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव के समक्ष उपस्थापित करना

निर्धारित प्रपत्र में प्रशाखा में कार्यरत सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० का साप्ताहिक लंबित पत्रों का प्रतिवेदन संचिका में संधारित करते हुए सचिव के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित की जाय।

सभी प्रशाखा पदाधिकारी बैठक के पूर्व लंबित पत्रों का प्रतिवेदन सचिव कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(3) निरीक्षण

(क) पटल निरीक्षण

प्रत्येक सप्ताह प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा अपने प्रशाखा के किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नि०व०लि० एवं अवर सचिव द्वारा किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पटल निरीक्षण किया जायेगा एवं पटल निरीक्षण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी समक्ष संचिका में उपस्थापित करें।

पटल निरीक्षण/प्रशाखा निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) की संचिका प्रत्येक सप्ताह आवश्यक रूप से उपस्थापित कर दिये जाने का निदेश दिया गया।



(ख) प्रशाखा निरीक्षण

संयुक्त सचिव द्वारा प्रशाखा का निरीक्षण प्रत्येक माह में एक बार किया जाना है तथा प्रशाखा निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका में टिप्पणी अंकित करते हुए निदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

अवर सचिव किसी एक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/निम्नवर्गीय लिपिक का लॉगबुक निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन सचिव कोषांग को बैठक के पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(4) स्वच्छता

सभी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी अपने टेबुल, दराज, रेक इत्यादि में संचिका सहेज कर रखेंगे एवं स्वच्छता बनाये रखेंगे।

(5) प्रशाखा की उपलब्धि

खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना, राज्य खेल अकादमी, राजगीर, एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर का वर्ष-2025 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को समेकित करते हुए एक पुस्तिका तैयार किया जाना है।

उपर्युक्त से संबंधित अद्यतन स्थिति के साथ श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक को बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

III. नवाचार

(1) ई-ऑफिस

प्रत्येक प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जो संचिकाओं का स्कैनिंग हो चुका है, वह किसी भी स्थिति में ई-ऑफिस के माध्यम से ही उपस्थापित किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध आईटी0 मैनेजर द्वारा बताया गया कि 1280 संचिकाओं के स्कैनिंग का कार्य सम्पन्न के पश्चात् संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों के आई0डी0 में भेजा जा चुका है। शेष संचिकाओं को पदाधिकारी/कर्मियों के आई0डी0 में सप्ताह अन्दर भेजे जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश आईटी0 मैनेजर को दिया गया।



उक्त के संबंध में आई0टी0 मैनेजर को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित हो ले कि सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों के आई0डी0 पर संचिका अद्यतन है या नहीं?

(2) टंकण कार्य

सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को टंकण कार्य एवं कम्प्यूटर से संबंधित कार्य का ज्ञान होना अनिवार्य है।

प्रत्येक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/ उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक को हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया है। इस संबंध में सभी को निदेशित किया जाता है कि **एक माह** के अंदर हिन्दी में टंकण की गति 35-40 शब्द प्रति मिनट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

(3) सुलभ संगणक (Ready Reckoner)

सुलभ संगणक 3.0 को इस वर्ष तैयार किया जाना है। इस हेतु विभाग से निर्गत सभी नियमों को समेकित करना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य का अनुश्रवण श्रीमती नूपुर झा, उप निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(4) iGOT Portal पर प्रशिक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये पत्र के आलोक में सभी पदाधिकारी/कर्मों प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आई0टी0 प्रबंधक से सहायता प्राप्त करेंगे।

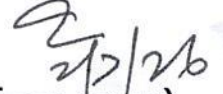
(5) बैठक संबंधी निदेश

विभागीय प्रशाखावार की समीक्षात्मक बैठक सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में निदेशक के द्वारा तथा निदेशक के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में संयुक्त सचिव के द्वारा एवं संयुक्त सचिव के अवकाश/व्यस्तता की स्थिति में अवर सचिव द्वारा किया जाय।

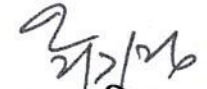


(IV) समस्या / सुझाव

प्रशाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं वरीय पदाधिकारी द्वारा कोई भी समस्या एवं सुझाव है तो उसका उल्लेख किया जा सकता है। साथ ही उस समस्या का समाधान हेतु सुझाव भी दिया जायेगा।

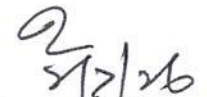

(निरंजन कुमार)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0-10(बैठक)-02/2026~~2460~~ पटना/दिनांक-3.....7./2026
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था0-10(बैठक)-02/2026~~2460~~ पटना/दिनांक-3.....7./2026
प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना/कुलसचिव, बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर/निदेशक (खेल) के आशुलिपिक/संयुक्त सचिव के आशुलिपिक/अवर सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक (योजना, क्रीड़ा&युवा)/प्रशाखा पदाधिकारी-05/आई0टी0 मैनेजर/सभी संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मी, खेल विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2.7.26


संयुक्त सचिव।